V

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार

14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या 1450 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2023–3(11) / मा0सं0(04) / 2017(Vol-II) दिनांक 18.09.2023

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2023 को सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या–217.24 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या: 33/2016–सा–3–784/दस–2016/308/97, दिनाक 27 अक्टूबर, 2016 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक / शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाहोपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किये जाने हेतु तत्सम्बन्धी व्यवस्था / प्राविधान निर्गत किये गये हैं, को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं में यथावत् / सम्पूर्णता में एतदद्वारा अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 1450 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2023 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एव प्रशासन / तकनीकी / वित्त / परियोजना एव वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर / निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / जवाहरपुर / पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) / कासिमपुर (अलीगढ़) / मलावन (एटा) / पनकी (कानपुर)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / II), मा0सं0 / पर्यावरण एवं सुरक्षा / ईंधन / जानपद–नव परियोजनाये / तापीय परिचालन / नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण / वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / II), न्यू कोल ब्लाक / प्रगति / पी0पी0एम0एम0, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0 / 46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की सम्पन्न 217वी बैठक के एजेण्डा आईटम सख्या–217.24 के सन्दर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0 / 46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06) / (रिफार्म) / (टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य) / (प्रशिक्षण) / (तापीय परिचालन) / (जानपद) / (औ0सं0) / (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक / उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / जवाहरपुर / पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) / कासिमपुर (अलीगढ़) / मलावन (एटा) / पनकी (कानपुर)।
11. कट् फाइल।

आज्ञा से,

18/9/23

(तरूण कुमार जैन)

अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

अनुलग्नक - 6

संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016/308/97

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 27 अक्टूबर, 2016

विषय - सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की विकलांग संतान को पारिवारिक पेंशन।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1155/दस-2-81 दिनांक 06 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81 (टी0सी0) दिनांक 12 नवम्बर, 1997 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम अविवाहित पुत्र/पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विकलांग पुत्री के विवाहोपरान्त उसकी पारिवारिक पेंशन बन्द कर दी जायेगी।

2- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/33/2012-पी0एण्ड पी0डब्लू0(ई0) दिनांक 16.01.2013 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि विकलांग संतान को विवाहोपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

3- इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

4- यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा इससे वह प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतानों को विवाहोपरान्त पारिवारिक पेंशन बन्द की जा चुकी है परन्तु इन आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-1155/दस-2-81 दिनांक 06 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamSc

(टी0सी0) दिनांक 12 नवम्बर, 1997 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उपर्युक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-33/2016-सा-3-784(1)/दस-2016/308/97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
... से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned with CamScanner